


FORM No. III
APP-A
Crime-I
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर मुकाम...खीवसर
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
सोनाराम बनाम जिताराम वगैराह
नं. 37 सन्. 2020.

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज 21.07.2020	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	<p>प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है वकील प्रार्थी का एक पक्षीय सुना गया और वकील प्रार्थी को भी सुना गया। तथा पत्रावली पर मौजुद रेकॉर्ड का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी है प्रार्थी के कथनानुसार उक्त प्रकरण में पूर्व में बंटवाड़ा हुआ मगर कुछ खसरान में बंटवाड़ा से भिन्न पक्षकारान काबिज रहे और पूर्व में हुए बंटवाड़ा को नहीं मानते हुए हमारी खेत की सीवें माटे खुर्द बुर्द करने पर उतारू है इसलिए मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्ट्रर हो। आगामी पेशी तक बहक अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय कि जारी की जाती है कि मौजा दांतीणा के वादग्रस्त खसरान 661/213 रकबा 19.03 बीघा, मौजा पचारो एवं बिच्छुओं की ढाणी के ख.न. 06 रकबा 13.19 बीघा, ख.न. 97 रकबा 05.18 बीघा, ख.न. 89 रकबा 01.08 बीघा, ख. न. 418 रकबा 13.10 बीघा, ख.न. 532 रकबा 19.16 बीघा में प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने एवं प्रार्थी के उपरोक्त खेतों की सीवो माटो को खुर्द बुर्द नहीं करने तथा मौके की स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने बाबत् अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।</p> <p>नोट:- उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा DILRMP पर प्रभावी नहीं होगी, उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक ही प्रभावी रहेगी।</p> <p>अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 25.08.2020 पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर खीवसर</p> <p>25/8/20 गभकार/पक्षकारान क आशयकता उपास्थित</p> <p>प्र. प्रार्थीन अधिकारी जी मीटिंग में/समय/स्थान/कारण को चुनना है/अदवकाश पर गये हु. प्र. प्रार्थीन को पुनः समझ दिनांक 3/11/20 को प्रस्तुत हो।</p>	

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जिल्ला मुकाम

श्रीगुरुजी वनाम श्रीगुरुजी

कदमा ७७२ २१२ २०२१ नं. ३१ मन् २०२२


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-----------------------------------	--

7 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में प्रत्यक्ष/में है/ स्थानान्तरण हो चुका है, अन्वेषण पर गये हुए है। पत्रावली भाषण दिनांकको 15/11/2022 को पेश हो

22/9 . वकील वारी/प्रार्थी के विवेदन पर पत्रावली आदि पेश हुई, वकीलवारी व प्रार्थी ने आवेदन पेश कर विवेदन किया कि इन पक्षों के मध्य रापीनामा हो चुका है, शर्तों में इस प्रकरण को छोड़ने की बातें चाँहती हूँ जरीम विज्ञोत जारी किया जाये है जावे।

अतः वकील वारी/प्रार्थी के विवेदन पर इस आवेदन स्वीकार किया/जाना है तथा वारी व वरिष्ठ/प्र. पत्र जारी में विज्ञोत जारी किया जाता है, पत्रावली की प्रकृत शर्तों के अन्तर्गत पत्रावली जारी की जाये है।

सहायक कलक: (SDO), खीवसर

श्रीगुरुजी

[Signature]